## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/75108/KPN/KANPUR NAGAR/1803/CFO

दिनांक: 01-03-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स C. H. S. EDUCATION INTERMEDIATE CENTRE (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता PLOT NO. S-2 PHASE I SCHEME, TATYATOPE NAGAR, KANPUR NAGAR तहसील - SADAR, प्लाट एरिया 4076.80 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 4042.03 (वर्ग मीटर),

ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BUILDING BLOCK	4	0	14.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स C. H. S. EDUCATION INTERMEDIATE CENTRE द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 04-03-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VED VYAS NIRALA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-03-2023 से 06-03-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स C. H. S. EDUCATION INTERMEDIATE CENTRE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स C.

## H. S. EDUCATION INTERMEDIATE CENTRE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : The School is in Operations since long , Hence ,The NOC is Issued as per GO Sr no-18 /छ: पु॰-8 -2022 /905 (34 )/2016 टी॰ सी॰ on 07-January 2022 for SCHOOL USE on the basis of Recommendations of FSO Fazalganj with the following:

- 1.To Provide one more Stair of width 1.50 meter as per the Approved drawings.
- 2. To maintain All Fire Fighting System in Operational mode Always and depute a Trained Fire Safety Supervisor for Emergency duties.
- 3. To keep free Access to All Exits / Escape routs Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises.
- 4. The Issued NOC will be Cancelled Automatically Incase of any deviation in above Condition and in G.O Norms.

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य</u> <u>नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (DEEPAK SHARMA)

[B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410]

07-03-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-03-2023

स्थान : KANPUR NAGAR